उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-19/2016/सीपी 543/84-2-2016-सीपी 2/2009

लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल नीचे दिये गये विवरण के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को उक्त विवरण के स्तम्भ-3 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर स्तम्भ-4 में अंकित आधार पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्0 सं0	नाम, पदनाम एवं वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री श्रीपाल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, अम्बेडकरनगर ।	जिला उपभोक्ता फोरम, एटा ।	स्वयं के अनुरोध पर
2	श्री गंगा राम, अध्यक्ष, जिला फोरम, एटा ।	जिला उपभोक्ता फोरम, अम्बेडकरनगर ।	स्वयं के अनुरोध पर

उपर्युक्त अध्यक्षगण को कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

2 उपर्युक्त आदेश सिविल अपील सं0-6733/2001 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम आनंद प्रकाश सोलंकी में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25 अगस्त, 2003 के अधीन चयन समिति की संस्तुति के उपरांत व्यापक जनहित में निर्गत किये जा रहे हैं।

3 उपर्युक्त स्थानान्तरित अध्यक्षगण को एतद्द्वारा यह निदेशित किया जाता है कि वह कृपया अपने स्थानान्तरित स्थान पर आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा तदुपरान्त राज्य आयोग एवं शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

सुधीर गर्ग

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी (अम्बडेकरनगर/एटा)।

(5) कोषाधिकारी (अम्बडेकरनगर/एटा)।

.....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0।

(9) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(10) सम्बन्धित अध्यक्षगण। (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।

(11) सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम (अम्बडेकरनगर/एटा)। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग।)

(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।